

29वाँ दलिली CII शखिर सम्मेलन

[सुरोत: पी.आई.बी](#)

हल ही में भारत के केंद्रीय वणजिय मंत्री ने दलिली में आयोजति 29वें भारतीय उदयोग परसिंघ (CII) भागीदारी शखिर सम्मेलन के दौरान सतत् वकिस में समान ज़मिमेदारियों की आवश्यकता पर ज़ोर दयिा ।

शखिर सम्मेलन की मुख्य वशिषताएँ:

- पर्यावरणीय समानता: औदयोगिक देशों को अतीत में हुई पर्यावरणीय क्षति के लयि उत्तरदायी ठहराने के लयि भारत ने "परदूषणकर्त्ता को भुगतान करना होगा" सदिधांत और "सामान्य लेकनि वभिदति उत्तरदायतिव" (CBDR) को बढावा दयिा ।
- एकतरफा उपायों का वशिष: इसने वकिसशील देशों के नरियात को नुकसान पहुँचाने के लयि यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) और यूरोपीय संघ वनों की कटाई वनियिमन (EUDR) की आलोचना की है ।
- जलवायु वतित: भारत ने बाकू में आयोजति CoP29 में 300 बलियन अमेरकी डॉलर के जलवायु-वतित पैकेज पर असंतोष व्यक्त कयिा तथा वैश्विक दक्षिण के लयि अनुकूलन एवं वतित पर ध्यान देने की आवश्यकता पर ज़ोर दयिा ।
- साझेदारी और प्रौदयोगिकी: भारत ने इज़रायल, इटली और कतर जैसे देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने पर ज़ोर दयिा, तथा व्यापार, स्थरिता और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढावा देते हुए जलवायु अनुकूल एवं अपशषिट जल परबंधन में प्रौदयोगिकी के आदान-परदान का समर्थन कयिा ।

CII भागीदारी शखिर सम्मेलन 2024:

- आयोजक: भारतीय उदयोग परसिंघ (CII) और DPIIT, वणजिय एवं उदयोग मंत्रालय ।
- थीम (2024): "???"
- भागीदारी: 61 देशों के परतनिधि, स्थरिता, व्यापार, हरति प्रौदयोगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रति करेंगे ।

//

जलवायु वित्त

जलवायु वित्त का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध शमन और अनुकूलन संबंधी कार्यों का समर्थन करने के लिये सार्वजनिक/निजी/वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण से है।

जलवायु वित्त के सिद्धांत

- प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है,
- 'समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताएँ' (CBDR-RC)

UNFCCC द्वारा

समन्वित बहुपक्षीय जलवायु कोष

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF):** वित्तीय तंत्र की संचालन इकाई (1994)
- क्योटो प्रोटोकॉल (2001):**
 - अनुकूलन कोष (AF):** विकासशील देशों को अनुकूलन परियोजनाओं का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना।
 - स्वच्छ विकास तंत्र (CDM):** विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं को पूर्ण करना।
- हरित जलवायु कोष (GCF):** वर्ष 2010 में स्थापित (COP 16)
 - इसके अंतर्गत कोष- अल्प विकसित देश कोष (LDCF) और विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)
- दीर्घकालिक जलवायु वित्त:**
 - कानकुन समझौता (वर्ष 2010):** लघु और दीर्घावधि में धन एकत्रित करना तथा उपलब्ध करना।
 - पेरिस समझौता (वर्ष 2015):** विकसित राष्ट्र वर्ष 2025 तक कम-से-कम 100 बिलियन डॉलर/वर्ष का नवीन सामूहिक लक्ष्य स्थापित करने पर सहमत हुए।
- लॉस एंज डैमेज फंड (2023) (COP27 और COP28):** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे कमजोर और प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता करना।

विश्व बैंक के

अधीन जलवायु निवेश कोष (CIF)

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष
- सामरिक जलवायु कोष

जलवायु वित्त के संबंध में भारत की पहल

कोष	उद्देश्य उद्देश्य
<ul style="list-style-type: none">राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (NAFCC) (2015)राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (2010-11)राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (2014)अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (INDCs) (2015)जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (2011)	<ul style="list-style-type: none">कमजोर भारतीय राज्यों के लियेस्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना (औद्योगिक कोयले के उपयोग पर प्रारंभिक कार्बन टैक्स के साथ प्रारंभ करना)आवश्यक और उपलब्ध कोष के बीच अंतर को खत्म करनाUNFCCC के तहत अपनाए गए राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी लक्ष्यवैश्विक जलवायु वित्त मुद्दों पर नेतृत्व करता है

जलवायु वित्त के समक्ष चुनौतियाँ

- NDCs के तहत राष्ट्रीय आवश्यकताओं और जलवायु वित्त के बीच अंतर (Gap) होना,
- अल्प विकसित देशों को बहुपक्षीय जलवायु कोष से प्रति व्यक्ति के हिसाब से न्यूनतम स्वीकृत धनराशि मिलना,
- स्वीकृतियों की धीमी दर,
- व्यवहार्यता-अंतर वित्त पोषण हासिल करने में विफल होना।



और पढ़ें: [जलवायु वित्त](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/29th-delhi-cii-summit>